संख्या:80/2026/553/35-4-2026/35-4002(003)/31/2026

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 31 मार्च, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-399,400,401,402,403, 404/त्व०आ०वि०/2025-26 दिनांक 17.03.2026 एवं पत्र संख्या-412 व 413/त्व०आ०वि०/2025-26 दिनांक 18.03.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-गाजियाबाद में निम्नलिखित तालिका में इंगित कार्यों की रू. 3617.97 लाख (रूपये छत्तीस करोड़ सत्रह लाख सत्तानबे हजार मात्र जी०एस०टी० सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रु. 903.00 लाख (रूपये नौ करोड़ तीन लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था उनके सामने इंगित की गयी है:-

(रू. लाख में)

क्र.	कार्य का नाम	लम्बाई (मी.)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
	जनपद गाजियाबाद के कार्य				
1	ग्राम-बयाना में प्रमोद त्यागी केखेत से इन्द्रराज के खेत तक सड़क निर्माण कार्य।	560	59.89	15.00	ग्रा0अभि0वि0
2	वार्ड नं०-55 बी-ब्लॉक में बी-91 से बी-254, बी-197 से बी-209 तक एंव शिवराज सिंह के मकान से जयकुमार के मकान तक इन्टरलोकिंग टाईल्स एंव नाला निर्माण का कार्य।	502	64.26	16.00	ग्रा0अभि0वि0
3	वार्ड नं०-07 बिहारीपुरा सर्वोदय कॉलोनी पुलिया । शनि चौक चौराहे से बादल की सोसाइटी तक इन्टरलोकिंग टाईल्स एंव नाले निर्माण कार्य।	501	74.71	19.00	ग्रा0अभि0वि0
4	वार्ड नं०-58 शिवपुरी में चौड़े खडंजे पर तुलसी के मकान से लेकर अम्बेडकर रोड तक इन्टरलोकिंग टाईल्स एव नाला का कार्य।	695	115.16	29.00	ग्रा0अभि0वि0
5	ग्राम नान मे मामचंद पुत्र श्री रनसिंह के मकान से चौराहा से होते हुए नान भाटियाना संपर्क मार्ग तक इंटरलोकिंग टाईल्स का निर्माण कार्य।	723	63.94	16.00	ग्रा0अभि0वि0
6	ग्राम पंचायत कृपानगर उर्फ बीघेपुर, धौलाना हापुड़ में सुभाष के मकान से लेकर जनक के मकान तक इंटरलोकिंग टाईल्स का निर्माण कार्य।	715	58.62	15.00	ग्रा0अभि0वि0
7	डॉ. उमेश नर्सिंग होम से तीन मूर्ति मंदिर तक इंटरलोकिंग टाईल्स निर्माण कार्य।	650	71.35	18.00	ग्रा0अभि0वि0
8	ग्राम-मोरटी में यूको बैंक से उमेश प्रधान, सुनील, मुकेश तरफ एवं राजेन्द्र के मकान से रोबिन एकाडमी होते हुए सलेख त्यागी के मकान तक।	577	65.01	16.00	ग्रा0अभि0वि0
9	वार्ड नं0-56 अविन्तका चिरंजीव विहार रोड से हापुड मार्ग तक	530	54.18	14.00	ग्रा0अभि0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	इंटर लॉकिंग कार्य।				
10	ग्राम मोरटा में मेन रास्ते वाले पुल से बी०आर०, फार्म होते हुए हम-तुम रोड तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	615	140.74	35.00	ग्रा0अभि0वि0
11	वार्ड 16 एच०आर०आई०टी० कॉलेज की पीछे डी०पी०एस० स्कूल से शाहपुर रोड तक सडक पुनः निर्माण कार्य।	1320	82.34	21.00	ग्रा0अभि0वि0
12	ग्राम बन्दीपुर से ग्राम खिमावती खण्डजें से लेपन (काली सड़क) कार्य।	1400	60.24	15.00	ग्रा0अभि0वि0
13	ग्राम-खिमावती नौराज पंडित के खेते की तरफ से कैथवाडी वाली काली सडक तक।	1100	64.81	16.00	ग्रा0अभि0वि0
14	ग्राम-शाहपुर में अस्पताल से प्रवीण मुखिया के खेत की तरफ नाली व इन्टरलॉकिंग कार्य।	468	51.08	13.00	ग्रा0अभि0वि0
15	वार्ड नं०-52 न्यू पंचवटी में बी, एंव सी ब्लॉक के मुख्य मार्ग का डेंस रोड एंव नाला, साइड इंटरलोकिंग टाईल्स का निर्माण कार्य।	1180	83.56	21.00	ग्रा0अभि0वि0
16	वार्ड नं०-88 में गांधी नगर जी रोड पर शेर सिंह पैलेस से अरोड़ा बेकरी होते हुए गणेश बीकानेर स्वीट की दुकान तक, तथा अरोड़ा बेकरी टी-पॉइंट से वक्रतुंड फर्नीचर तक डेंस रोड एव नाली, साइड इंटरलोकिग टाईल्स का निर्माण कार्य।	765	92.70	23.00	ग्रा0अभि0वि0
17	वार्ड नं०-02 राहुल बिहार में अनिल के मकान से अकबरपुर बहरामपुर बिजली घर तक व सहायक गलियों इन्टरलोकिंग टाईल्स एंव नाला निर्माण कार्य।	510	66.63	17.00	ग्रा0अभि0वि0
18	वार्ड नं. 25 एफ ब्लॉक विजयनगर में उत्सव भवन से एफ ब्लॉक मंदिर तक इन्टरलोकिंग टाईल्स का निर्माण कार्य।	504	96.85	24.00	ग्रा0अभि0वि0
19	वार्ड न०-35, अकबरपुर बहरामपुर, में टिन्के के मकान से गज्जी यादव के मकान तक इन्टरलोकिंग टाईल्स एंव नाला निर्माण कार्य।	501	79.40	20.00	ग्रा0अभि0वि0
20	वार्ड नं0-01 बाग़ में रोजवैली स्कूल से अनिल सप्लायर इन्टरलोकिंग टाईल्स एंव नाला निर्माण कार्य।	560	84.07	21.00	ग्रा0अभि0वि0
21	वार्ड-31 में इंटरलॉकिंग टाईल्स की सडक एवं नाली निर्माण कार्यः-जगमाल के घर से सुधीर कश्यप के घर तक, अमर सिंह कश्यप के घर से लीलावती के घर तक, मनोज के घर से पप्पू के मकान तक, रामस्वरुप के मकान से प्रेमपाल उपाध्याय के घर तक, डा० प्रदीप के घर से धनीराम शर्मा के घर तक, राधाकुन्ज में देवेन्द्र शर्मा के घर से प्रतीक्षा भवन तक, राधाकुन्ज में रेखा चौधरी के घर से कुलदीप त्यागी के घर तक।	662	45.96	11.00	ग्रा0अभि0वि0
22	वार्ड-6 में इंटरलॉकिंग टाईल्स की सडक एवं नाली निर्माण कार्य:-शांति नगर में बंटीपाल से नेमचन्द जाटव के घर तक, महेश के घर से अमरीश त्यागी के घर तक, केप्टन मूलचन्द के घर से रामानुज झा के घर तक, शिवराम पाल के घर से रामकुमार के घर तक, राजू के घर से जमुनी के घर तक	592	48.33	12.00	ग्रा0अभि0वि0
23	वार्ड-60 में बालाजी एन्कलेव में जी०टी० रोड से प्लॉट नं0-522 तक एवं प्लॉट-11 से आई एम ई कॉलिज की दीवार तक काली सडक निर्माण कार्य एवं संजय पान वाले से बालाजी होम्स तक एवं विकांत के घर से श्यामराज तक इंटरलॉकिंग टाईल्स की 'सडक एवं नाली निर्माण कार्य।	489	63.45	16.00	ग्रा0अभि0वि0
24	वार्ड-29 में न्यू डिफेन्स कालोनी में जितेन्द्र के घर से पिंटू के घर तक, पंचशील कालोनी में मनोज ठेकेदार से कमल के	465	45.73	11.00	ग्रा0अभि0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	घर तक एवं विरेन्द्र मिश्रा के घर से विजय मिश्र के कार्यालय तक इंटरलॉकिंग टाईल्स की सडक एवं नाली निर्माण कार्य।				
25	वार्ड 75 लाजपत नगर में इंटरलॉकिंग टाईल्स की सडक का निर्माण कार्य:-वीरु के घर से ज्योति ज्वैलर्स तक, डी-386 से गणपति पूजा सामिग्री तक, गोगी के घर से डी-300 तक, डी-200 से डी-175 तक, डी-288 से डी-327 तक डी-248 से डी-268 तक, डी-251 से डी-208 तक, डी-247 से डी-275 तक, डी-239 से डी-280 तक, डी-232 से डी-216 तक, डी-239 से डी-303 तक एवं श्री श्याम डिसपेन्सरी से शिवाय प्रोविजनल स्टोर तक।	348	21.53	5.00	ग्रा0अभि0वि0
26	वार्ड-74, सेक्टर-19 बसुन्धरा में शांतम एवं सुन्दरम खण्ड में काली सडक निर्माण कार्य।	1278	58.51	15.00	ग्रा0अभि0वि0
27	वार्ड-49, नन्दग्राम में सी एवं ए ब्लॉक के बीच खाटू श्याम मंदिर से परशुराम चौक तक काली सडक निर्माण कार्य।	500	158.36	40.00	ग्रा0अभि0वि0
28	वार्ड-72 में सनवैली स्कूल से पी ए सी के गेट नंबर 5 तक काली सडक का निर्माण कार्य।	320	17.24	4.00	ग्रा0अभि0वि0
29	वार्ड-45 ग्राम-करैहंडा में मोनू के घर से वीरेन्द्र के घर तक एवं न्यू करैहडा कालोनी में गली-47 कुन्ज गली में इंटरलॉकिंग टाइल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	372	44.33	11.00	ग्रा0अभि0वि0
30	वार्ड न0 43 के चमन विहार में जगत सिंह से जितेंद्र कसाना, अरविंद वाली गली होते हुए राजेश्वर गुप्ता वाली गली से पप्पू पहलवान से नगेंद्र के यहां से होते हुए धर्मेंद्र बिल्डर्स तक इंटरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	789	112.52	28.00	ग्रा0अभि0वि0
31	वार्ड न0 29 के रामपार्क विस्तार में सैंपल हाउस से 50 फुटा रोड तक नाली एवं इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य।	564	72.11	18.00	ग्रा0अभि0वि0
32	वार्ड न0 48, 44, 29 एंव 20 के संपर्क मार्ग 50 फुटा रोड पर (पंकज गोठडा वालों के मकान से बलराज हॉल तक) इंटरलॉकिंग सडक निर्माण कार्य।	553	61.43	15.00	ग्रा0अभि0वि0
33	वार्ड न0 20 के इलायचीपुर में श्रीराम चौक से सत्यम चौक (दिल्ली सोमा) तक सडक निर्माण कार्य।	762	89.06	22.00	ग्रा0अभि0वि0
34	वार्ड न0 04 में सुनील के मकान से नगेंद्र के मैरिज होम से होते हुए अमर सिंह के मकान तक एवं अन्य सहायक गलियों में नाली एवं इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य।	500	60.87	15.00	ग्रा0अभि0वि0
35	रामेश्वर पार्क में शहीद भगत सिंह द्वार से नेगी की दुकान से (राइट) होते हुए दुर्गा माता मंदिर तक काली सड़क निर्माण कार्य। चंचल बंजारा	770	39.64	10.00	ग्रा0अभि0वि0
36	वार्ड न0 20 के इलायचीपुर में धनपाल के स्कूल से दिल्ली सीमा तक नाली एवं इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य।	632	69.16	17.00	ग्रा0अभि0वि0
37	ग्राम याकूतपुर भवी में सुखवीर सिंह के मकान से कृष्ण कुमार पुत्र प्रेम सिंह के सिंह सैनी के मकान से रणवीर सिंह के पॉट में होते हुए बलवीर सिंह के मकान तक, विभिन्न सहायक गलिया, ववर सिंह से दयानंद सैनी के मकान तथा गौरव के घर के सामने गुलवीर से रणवीर सिंह के मकान तक व प्रकाश सैनी से मनीष नेहरा के मकान तक इंटरलॉकिन हाइरस में नाली का निर्माण कार्य	506	55.95	14.00	ग्रा0अभि0वि0
38	मोदीनगर में गोविंदपुरी के वार्ड नं.26 की विभिन्न गलिया, लव कुमार के मकान में मूलचंद के मकाने तक, श्याम लाल की गती, शिवम के मकान में नधिर की फैक्ट्री से होते हुए गौरव चोधरी के मकान तक, सुभाष मलिक के मकान से रिकू	560	59.61	15.00	ग्रा0अभि0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	त्यागी के मकान तक, ऋषिपाल कुसेही वाले के मकान से गोरखनाथ मंदिर तक तथा देवेंद्र शर्मा के मकान से अनिल के मकान तक व प्रवीण शर्मा वाली गली, आदि में इंटरलॉकिंग व माली का निर्माण कार्य				
39	ग्राम अतरौली में शामली रोड पर सिंटू पंडित के खेत से देवी मंदिर तक रामकिशन के मकान व मास्टर कुंवर पाल के मकान तक इंटरलोकिंग सड़क एवं गाली का निर्माण कार्य	595	39.61	10.00	ग्रा0अभि0वि0
40	ग्रीन पार्क कॉलोनी मोदीनगर वार्ड नं0-31 में मॉडर्न एकेडमी गेट से उमेश के मकान तक तथा तुषार शर्मा के मकान से हॉस्टल तक व सहायक गालियों में इंटरलोकिंग सड़क एवं नोली को निर्माण कार्य ।	600	73.41	18.00	ग्रा0अभि0वि0
41	ग्रांम तलहेटा में मैन रोड से बाबा की कुटी डबरों वाली) तक इंटरलॉकिंग सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य ।	541	44.20	11.00	ग्रा0अभि0वि0
42	ग्राम शकूरपुर में मेन रोज से विजेंद्र के मकान से लेकर प्रधान के फॉर्म एक, मैन रोड से हरेंद्र के मकान तक, मैंन रोड से नरेंद्र सिंह के एक थान से सर के मकान तक सहायक गलियों में इंटरलॉकिंग टाइप का निर्माण कार्य।	519	33.96	8.00	ग्रा0अभि0वि0
43	मोदीनगर निवाड़ी रोड़ से कान्हा एन्कलेव कांलोनी तक इन्टरलांकिंग सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य	550	61.09	15.00	ग्रा0अभि0वि0
44	मोदीनगर फफराना रोड से आनंद विहार कॉलीनी के पुल तक इंटरलॉकिंग सड़क एवं एवं नाली का निर्माण कार्य	600	60.80	15.00	ग्रा0अभि0वि0
45	मोदीनगर फफराना रोड से वेद बिहार कालोनी तक इण्टर लांकिग सडक एवं नाली निर्माण कार्य।	560	79.75	20.00	ग्रा0अभि0वि0
46	मोदीनगर में निवाडी रोड पर मुन्नी वाटिका फार्म हाउस से आगे मैन रोड पर फिटनेस गलेक्सी युनिसेक्स जिम के बराबर से आखिर तक इण्टरलाकिंग व नाली का निर्माण कार्य।	150	24.58	6.00	ग्रा0अभि0वि0
	जनपद मुजफ्फरनगर के कार्य				
47	ग्राम पंचायत वहलना विकास खण्ड सदर में मदन के मकान से सोहन कश्यप के मकान तक नाली व इन्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य।	380	14.93	4.00	ग्रा0अभि0वि0
48	ग्राम पंचायत धोलड़ी विकास खण्ड बघरा में जूनियर हाई स्कूल से किशन के प्लॉट तक नाली व इन्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य।	590	26.90	7.00	ग्रा0अभि0वि0
49	ग्राम पंचायत मुकन्दपुर विकास खण्ड बघरा में हरिपाल मास्टर के घेर से रमेश के मकान तक नाली व इन्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य।	575	27.88	7.00	ग्रा0अभि0वि0
50	ग्राम पंचायत हैदरनगर विकास खण्ड बघरा में जयप्रकाश के मकान से काली सड़क तक नाली व इन्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य।	415	17.93	4.00	ग्रा0अभि0वि0
51	ग्राम पंचायत बधाईकलां विकास खण्ड चरथावल में अंगूर पाल के मकान से चन्द्रपाल के मकान तक नाली व इन्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य।	510	20.73	5.00	ग्रा0अभि0वि0
52	ग्राम पंचायत पीपलशाह विकास खण्ड चरथावल में सोमपाल के मकान से अनिल के मकान तक नाली व इन्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य।	515	39.33	10.00	ग्रा0अभि0वि0
53	ग्राम पंचायत जड़ौदा विकास खण्ड सदर में कृष्णपाल के मकान से पुष्पेन्द्र के मकान तक नाली व इन्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य।	550	32.51	8.00	ग्रा0अभि0वि0
54	ग्राम पंचायत सिलाजुड्डी विकास खण्ड सदर में अनुज के	575	43.58	11.00	ग्रा0अभि0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	मकान से नरेश पाल के मकान तक नाली व इन्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य।				
55	ग्राम पंचायत नसीरपुर विकास खण्ड बघरा में सोरन कश्यप के मकान से सतवीरा कश्यप के मकान तक नाली व इन्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य।	450	20.87	5.00	ग्रा0अभि0वि0
56	ग्राम पंचायत जफरपुर विकास खण्ड बघरा में नीटू कश्यप के मकान के पास नाली व इन्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य।	510	21.98	5.00	ग्रा0अभि0वि0
57	ग्राम पंचायत रोनी हाजीपुर विकास खण्ड चरथावल में प्रेम के मकान से मुकेश के मकान तक नाली व इन्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य।	510	20.73	5.00	ग्रा0अभि0वि0
58	ग्राम पंचायत बुन्नाखेड़ा विकास खण्ड बघरा में कश्यप वाचनालय से इन्द्रपाल कश्यप के घेर तक नाली व इन्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य।	590	31.08	8.00	ग्रा0अभि0वि0
59	ग्राम पंचायत ढ़िडावली विकास खण्ड बघरा में रणधीर सिंह मकान से चौपले तक नाली व इन्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य।	530	24.25	6.00	ग्रा0अभि0वि0
60	ग्राम पंचायत निरमाना विकास खण्ड बघरा में राकेश मकान से सुन्दरपाल के मकान तक नाली व इन्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य।	518	30.36	8.00	ग्रा0अभि0वि0
61	ग्राम कुरथल में वेदपाल के मकान से मेन रोड़ तक सी0सी0 निर्माण कार्य।	200	21.37	5.00	ग्रा0अभि0वि0
62	ग्राम वैल्ली में बिजेन्द्र के मकान से विनोद के मकान तक सी0सी0 निर्माण कार्य।	200	8.61	2.00	ग्रा0अभि0वि0
63	नेश्नल हाई-वे मेरठ-करनाल से ग्राम कुरथल को जोडती हुई सड़क का निर्माण कार्य।	400	37.75	9.00	ग्रा0अभि0वि0
64	ग्राम कुरथल में प्रधानमंत्री सड़क से सीसी रोड़ निर्माण कार्य	500	38.09	10.00	ग्रा0अभि0वि0
	जनपद मेरठ के कार्य				
65	ग्राम पंचायत शाहपुर जदीद ममूरी मेरठ में अनिल कुमार पुत्र होशराम के खेत से लेकर राजू पुत्र हरपाल सिंह के खेत तक सडक नवनिर्माण कार्य।	950	42.67	11.00	ग्रा0अभि0वि0
66	ग्राम पंचायत शाहपुर जदीद ममूरी मेरठ में यशपाल पुत्र भूड़ेसिंह की ट्यूबवैल से अजय डैढा के घेर तक सीमेन्ट सडक व नाली निर्माण कार्य।	200	14.22	4.00	ग्रा0अभि0वि0
	जनपद सहारनपुर के कार्य				
67	चौधरी विहार कॉलानी बालाजी धाम के सामने बेहट रोड सहारनपुर महफूज मिस्त्री की दुकान से हरकेश पुण्डीर के मकान तक सी0सी0 रोड व नाले निर्माण कार्य	95	11.47	3.00	ग्रा0अभि0वि0
	योग:	**38916**	**3617.97**	**903.00**	

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
3. प्रदेश की राजकीय कार्यदायी संस्थाओं को सैंटेज चार्ज वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-7/10-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मार्च, 2023 के अनुसार देय होगा। योजनान्तर्गत कंटीजेंसी अनुमन्य नहीं है।
4. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।

5. वित्त विभाग के शासनादेश सं0- 10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनाँक 22 मार्च, 2021 के अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षण आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
6. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023- 17 (4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।
7. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
8. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट / स्टील / ग्रिट/मोरम इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. परियोजना की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना हेतु जनपद स्तर पर कार्यकारी आदेश निर्गत करने जिसे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
10. कार्य का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
11. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा सी०एम०आई०एस० पोर्टल पर जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
13. त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर, 2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार किये जायेंगे।
15. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या-1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
16. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनश्चित किया जायेगा।
17. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
18. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

19. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
20. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
21. स्वीकृत की जा रही धनराशि जनपद गाजियाबाद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी, गाजियाबाद की अनुमति से आहरित की जायेगी। जनपद मुजफ्फरनगर,मेरठ एवं सहारनपुर को उनके कार्यों के समतुल्य धनराशि जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी गाजियाबाद द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के माध्यम से हस्तान्तरित कराए जाने की कार्यवाही की जायेगी।
22. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2026 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
23. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
24. कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
25. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।
26. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
27. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
28. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
29. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
30. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023- 17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की द्वितीय किश्त हेतु निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए जनपद/कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की वास्तविक लागत के अनुसार मांग की जायेगी। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।
31. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।
32. प्रश्नगत कार्य के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
33. नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या: 60/2025/440/35-4-2025/35-4099/184/2023 (पार्ट-1) दिनांक 22 अप्रैल, 2025 में निहित व्यवस्था के अंतर्गत सीएमआईएस पोर्टल पर जियोटैगिंग के साथ पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

2- इस संबंध में उपर्युक्त कार्यों में से (1) **क्रमांक-2 से 4, 9, 11, 15 से 36, 40 एवं 43 से 46** पर अंकित कार्यो पर होने वाला व्यय रू. 549.00 लाख (रूपसे पाँच करोड़ उन्चास लाख मात्र) को वित्तीय वर्ष 2025-26 के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आय-व्ययक में नियोजन विभाग के अनुदान संख्या-40 लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-03- त्वरित आर्थिक विकास योजना- **0302-शहरी क्षेत्रों में सड़कों के सुधार के लिये एकमुश्त व्यवस्था**-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा एवं **(2) शेष कार्यो** पर होने वाला व्यय रू. 354.00 लाख (रूपये तीन करोड चौवन लाख मात्र) को वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में नियोजन विभाग के अनुदान संख्या-40 लेखाशीर्षक-**5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04- जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0301-ग्रामीण क्षेत्रों में नयी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था- 24-वृहद निर्माण** कार्य के नामे डाला जायेगा

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तंर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या:80/2026/553(1)/35-4-2025/35-4002(003)/31/2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त,मेरठ मंडल, सहारनपुर मंडल ।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, गाजियाबाद, **मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर।**
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गाजियाबाद, **मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर।**
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन,नियोजन विभाग।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गाजियाबाद, **मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर।**
14- सम्बंधित अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, गाजियाबाद, **मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर।**
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in